



09414408726 (M)  
[yadavdk71@gmail.com](mailto:yadavdk71@gmail.com)  
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

## कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक / कृ.अ.उ.के. / के.टी.पी. / 2016 / 135-140

दिनांक 26.09..2016

### सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र पर गोबर की खाद (FYM) आपूर्ति के लिए दिनांक 03.10.2016 को दोपहर बाद 2.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 04.10.2016 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित कमेटी द्वारा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र व शर्तों की जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। गोबर की खाद खरीदने के लिए लिए अधिकत्तम राशी रु. 100000.00 (रु एक लाख मात्र ) होगी। निविदा प्रपत्र के साथ रूपये एक हजार मात्र धरोहर राशी जमा करानी होगी। निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार कमेटी का होगा।

प्रभारी अधिकारी  
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र  
गोनेड़ा-कोटपूतली

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
3. सूचना पट्ट, पंचायत समिति, कोटपूतली
4. सूचना पट्ट, ग्रम पंचायत गोनेड़ा
5. सूचना पट्ट, कार्यालय
6. आरक्षित प्रति

प्रभारी अधिकारी  
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र  
गोनेड़ा-कोटपूतली  
जिला-जयपुर

**कृषि अनुसंधान उप केन्द्र**  
 (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)  
 गोनेड़ा—कोटपूतली जिला—जयपुर (राज.)

निविदा क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./ के.ठी.पी./ 2016/ 135—140

दिनांक 26.09.2016

कार्य का नाम : केन्द्र पर गोबर की खाद (FYM) आपूर्ति के लिए

कार्य की अनुमानित अवधि: अक्टूबर 2016

धरोहर राशी: रु 1000.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अधिकत्तम राशी रु.	निविदादाता द्वारा मांगी गई राशी रु.प्रति 100 घन फीट	हस्ताक्षर
1.	केन्द्र पर सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM) आपूर्ति के लिए	100000.00 (रु एक लाख मात्र )		

**निविदा शर्तें:**

1. सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM) की आपूर्ति फार्म में बताए गए प्लाट नम्बर में ही करनी होगी।
2. आपूर्ति का सम्पूर्ण खर्चा निविदादाता को वहन करना होगा।
3. आपूर्ति समय में किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
4. सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM) नाप के अनुसार आपूर्ति करनी होगी।
5. सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM) की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि जब्त करली जावेगी।
6. सभी कार्य प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
7. गोबर की खाद की आपूर्ति कार्यालय समय पर ही करनी होगी।